प्रकाशन संख्या–723

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या – 711

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा (सिविल), बिहार के प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 की कंडिका–2.1.2 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

(दिनांक– 25.07.2025 को सदन में उपस्थापित)।

विषय-सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	लोक लेखा समिति का गठन	क
2.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार, वित्त विभाग तथा जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना के पदाधिकारीगण ।	ख
3.	प्राक्कथन	ग
4.	प्रतिवेदन	1-3
5.	परिशिष्ट	4-15

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 1 अप्रील 2025 से सप्तदश बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक)

सभापति

1.	श्री भाई वीरेन्द्र	स0वि0स0

सदस्यगण

2.	श्री अवध विहारी चौधरी	स0वि0स0
3.	श्री विजय शंकर दूबे	स0वि0स0
4.	श्री महबूब आलम	स0वि0स0
5.	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	स0वि0स0
6.	श्री अशोक कुमार,	स0वि0स0
7.	श्री राणा रणधीर	स0वि0स0
8.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	स0वि0स0
9.	श्री विजय कुमार खेमका	स0वि0स0
10.	श्री राकेश कुमार रौशन	स0वि0स0
11.	श्री राज कुमार सिंह	स0वि0स0
12.	डॉ0 कुमुद वर्मा	स0वि0प0
13.	श्री सर्वेश कुमार	स0वि0प0
14.	डॉ0 अजय कुमार सिंह	स0वि0प0

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

1.	श्रीमती ख्याति सिंह	प्रभारी सचिव
2.	श्री उमा शंकर यादव	उप सचिव
3.	श्री सुधीर कुमार सिंह	अवर सचिव
4.	श्री अनिल कुमार वर्मा	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री अमित कुमार झा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्री संजीत कुमार	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7.	श्री अजीत कुमार-1	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार

1.	श्री पीयूष कुमार राय	उप महालेखाकार
2.	श्री मनोज कुमार झा	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
3.	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
4.	श्री सूरज कुमार	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
5.	श्री अजीत कुमार गुप्ता	वरिष्ठ लेखापरीक्षक

वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना

1.	श्री आनंद किशोर	प्रधान सचिव
2.	श्री राजेन्द्र कुमार	उप सचिव

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना

1.	श्री संतोष कुमार मल्ल	प्रधान सचिव
2.	श्री मनोज राय,	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल नि० प्रमंडल
3.	श्री विवेक गौरव,	अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नि० एवं मो० अंचल, पटना
4.	श्री बीरेन्द्र कुमार,	कार्यपालक अभियंता, यो० एवं मो०नि० प्रमंडल-6, पटना

ग

प्राक्कथन

मैं सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के प्रतिवेदन 31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल), बिहार सरकार की जल संसाधन विभाग से संबंधित कंडिका-2.1.2 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या-711 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक-04.07.2025 को मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखापरीक्षा), वित्त विभाग, जल संसाधन विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने समिति के कार्यों तथा प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में जो सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है, उनका मैं समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटना ।

दिनांक-04.07.2025 (ई0) ।

सभापति,

लोक लेखा समिति

बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा (सिविल), बिहार के प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 की पृष्ठ- 60 एवं 61

2.1.2 रॉयल्टी के अधिक भुगतान से हानि

वास्तविक रॉयल्टी को सुनिश्चित किए बिना बाढ़ नियंत्रण
बोल्डरों पर लगाए गए वास्तविक रॉयल्टी के भुगतान किए जाने से सरकार को
प्रमंडल द्वारा संवेदकों को अधिक दर पर रॉयल्टी के भुगतान किए जाने से सरकार को
22.54 लाख रुपये की हानि हुई।

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर ने वर्ष 2005–07 के दौरान गंगा नदी[2] पर
बक्सर–कोईलवर तटबंध के दाहिने किनारे पर कटाव–रोधी कार्यों के क्रियान्वयन हेतु
6.09 करोड़ रुपये की राशि के तीन अनुबंध[3] किए। कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले

बोल्डर उत्तरप्रदेश में मिर्जापुर के छबीराम खदानों से प्राप्त किए जाने थे। प्राक्कलन में
बोल्डरों की अधिप्राप्ति, लोडिंग, अनलोडिंग, खदान से कार्यस्थली तक ढुलाई रॉयल्टी
सहित 100 रुपये प्रति घन मीटर थी। हाँलांकि बिहार राज्य लघु खनिज (समानुदान)
नियमावली 1972 के अनुसार कटाव–रोधी कार्यों में प्रयुक्त किए जाने बोल्डरों पर
रॉयल्टी 50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतेय थी। इसप्रकार प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण
थे एवं अनुबंध में बोल्डरों की अधिप्राप्ति हेतु अंगीकृत दर समीक्षा सही नहीं थी।

प्रमंडल ने संवेदकों को फरवरी 2007 से जनवरी 2008 के बीच उपरोक्त अनुबंधों के
विरुद्ध 6.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया जिसमें मीरज़ापुर से कार्य स्थलों तक
0.32 लाख घ.मी. बोल्डरों की आपूर्ति हेतु 3.48 लाख रुपये भी शामिल थे।

बोल्डरों की अधिप्राप्ति संबंधी अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2007
और नवम्बर 2008) कि संवेदकों ने खनन पदाधिकारी, मीरजापुर को 30 रुपये प्रति घ.
मी. की दर से रॉयल्टी का भुगतान किया था। हालांकि संवेदकों द्वारा रॉयल्टी के
वास्तविक भुगतान राशि को सुनिश्चित किये बिना प्रमंडल ने बढ़े हुए दर अर्थात 100
रुपये प्रति घ. मी. पर, जैसा कि प्राक्कलन में प्रावधानित था, भुगतान कर दिया।
इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को बोल्डरों की रॉयल्टी पर 22.54 लाख रुपये का
अधिक भुगतान हो गया।

प्रमंडल ने जवाब दिया (दिसम्बर 2007) कि अधिक भुगतान नहीं किए गए थे क्योंकि
किए गए भुगतान प्राक्कलित दर के अनुसार थे। प्रमंडल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि
प्राक्कलन दोषपूर्ण था एवं संवेदकों द्वारा रॉयल्टी के वास्तविक भुगतान को सुनिश्चित
करने के बाद ही बोल्डरों के लिए भुगतान किया जाना चाहिए था।

इसप्रकार बोल्डरों पर आरोपित वास्तवित रॉयल्टी को सुनिश्चित किए बगैर संवेदकों को
अधिक रॉयल्टी भुगतान करने से सरकार को 22.54 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मार्च 2009)। उनका उत्तर अप्राप्त था (दिसम्बर
2009)।

---

2 चेन सं॰ 140 से 177.50, 415 से 460 एवं 450 से 505 के समीप

3 अनुबंध सं. ..9 (प०)/2005–06 : मे. अर्जुन ईजीकॉन (प्रा.) लि. पटना को 2.29 करोड़ रुपये के लिए ; ..(प०)/2005–06 : मे. गदर इंडिया कंस्ट्रक्शन, पटना को 1.07 करोड़ रुपये के लिए ; .. 07 : बी. एन. इंटरप्राइजेज, गोपालगंज को 2.73 करोड़ रुपये के लिए।

विभागीय उत्तर

आपत्ति के आलोक में विभाग द्वारा दिनांक-24.08.2023 की बैठक में समिति की पृच्छा के आलोक में यह बताया गया कि कुल दुर्विनियोग राशि में कुल तीन संवेदक में से दो संवेदक से वसूली की जा चुकी है। शेष एक संवेदक से राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस बैठक में समिति द्वारा विभाग को निर्देश दिया गया कि समायोजित राशि से संबन्धित साक्ष्य एवं शेष वसूलनीय राशि के संबंध में वित्त विभाग से परामर्श लेकर राशि की रिकवरी कराई जाय एवं संबंधित प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराया जाय।

दिनांक-21.08.2024 के विभागीय बैठक में समिति की पृच्छा के आलोक में विभाग द्वारा यह बताया गया कि रॉयल्टी में 6 लाख 34 हजार रुपए का अधिकाई भुगतान हुआ है जिसकी वसूली की जा चुकी है। इस पर समिति द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि अगर वसूली हुई है तो आप समिति को और महालेखाकर को वसूली का साक्ष्य उपलब्ध करा दें।

दिनांक-06.02.2025 की बैठक में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि कुल 6.34 लाख रुपए के अधिक भुगतान से संबन्धित सभी राशि की वसूली की जा चुकी है। विभागीय उत्तर एवं समायोजित राशि से संबंधित साक्ष्य संलग्न है। (परिशिष्ठ पृष्ठ संख्या- 4 से 12 तक द्रष्ट्व्य)।

②

समिति की अनुशंसा

विभागीय अनुपालन पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से समिति कंडिका संख्या-2.1.2 को विलोपित करने का निर्णय लेती है।

पटना ।

दिनांक- 04.07.2025 (ई0) ।

सभापति,

लोक लेखा समिति

बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (सिविल) के कंडिका 2.1.2 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन (रॉयल्टी के अधिक भुगतान से हानि)

विषय

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर ने वर्ष 2005–06 के दौरान गंगा नदी पर बक्सर–कोईलवर तटबंध के दाहिने किनारे पर कटाव रोधी कार्यो के क्रियान्वयन हेतु 6.09 करोड़ रूपये की राशि के तीन अनुबंध किए। कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले बोल्डर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के उधीराम खदानो से प्राप्त किये जाने थे। प्राक्कलन में बोल्डरो की अधिप्राप्ति, लोकिंग, अनलोडिंग, खदान से कार्यस्थलो तक ढुलाई रॉयल्टी सहित 100 रूपये प्रति घन मीटर थी। हालॉकि बिहार राज्य लघु खनिज (समानुदान) नियमावली 1972 के अनुसार कटाव रोधी कार्यो में प्रयुक्त किये जाने वाले बोल्डरो पर रॉयल्टी 50 रूपये प्रति घन मीटर की दर से भुगतेय थी। इस प्रकार प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण थे एवं अनुबंध में बोल्डरो की अधिप्राप्ति हेतु अंगीकृत दर समीक्षा सही नही थी।

प्रमंडल ने संवेदको को फरवरी 2007 से जनवरी 2008 के बीच उपरोक्त अनुबंधो के विरूद्ध 6.12 करोड़ रूपये का भुगतान किया जिसमें मिर्जापुर से कार्य स्थलो तक 0.32 लाख घन मीटर बोल्डरो की आपूर्ति हेतु 3.48 लाख रूपये भी शामिल थे।

उत्तर प्रतिवेदन

वर्णित मामला गंगा नदी के दायें किनारे बक्सर–कोईलवर गंगा तटबंध के चेन 140 से 177.50, चेन 415 से 450 एवं चेन 450 से 505 के बीच वर्ष 2005–2007 के दौरान कराये गये कटावरोधी कार्य में तीन अनुबन्धो में मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के अधीराम खदान से आपूरित बोल्डर में संवेदको द्वारा कुल 0.32 लाख घनमीटर की रॉयल्टी प्राक्कलन में प्रावधानित दर से कम पर किये जाने के कारण 22.54 लाख रू0 की हानि से संबंधित है। लेखा परीक्षक द्वारा प्राक्कलन में प्रावधानित रॉयल्टी की दर 100 रू0 प्रति घन मीटर के विरूद्ध खनन पदाधिकारी मिर्जापुर (उ0प्र0) को 30 रू0 प्रति घन मीटर के दर से भुगतान किये जाने के कारण प्रति घन मीटर रू0 100 – 30 = 70 रू0 का अधिक भुगतान हो जाने के कारण 0.32 लाख घनमीटर बोल्डर के लिए कुल 22.54 लाख रू0 की हानि होने का प्रश्न उठाया है।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्णित योजना के कार्यान्वयन हेतु बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर के अन्तर्गत तीन अदद एकरारनामा किये गये थे । इन एकरारनामाओ के अन्तर्गत संवेदको को भुगतान की जाने वाली राशि में वस्तुतः बोल्डर की कीमत एवं अन्य करों के अलावे रॉयल्टी मद में रू0 50 प्रति घन मीटर ही शामिल था। चूँकि बोल्डर की आपूर्ति मिर्जापुर से ली गयी थी, जहॉं स्वामित्व का दर 30 रू0 प्रति घन मीटर था। अतएव रू0 20 प्रति घन मीटर की दर से संवेदको को रॉयल्टी का अधिकाई भुगतान हुआ।

रॉयल्टी मद में संवेदको को वस्तुतः निम्नलिखित विवरणी के अनुसार अधिकाई भुगतान हुआः–

क्र0 सं0	एकरारनामा संख्या	संवेदक का नाम	आपूरित बोल्डर की मात्रा (घन मीटर में)	रॉयल्टी मद में अधिकाई भुगतान	वसूली की गयी राशि
1	01F2/2006-07	मैसर्स बी0 एन0 इन्टरप्राईजेज, मैनुआ, जलालपुर, गोपालगंज	15369.467	Rs. 307389.34	307390.00 (संवेदक से चेक द्वारा प्राप्त)
2	02F2/2005-06	अर्जुन इंजीकोन प्रा0लि0 पी0सी0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	10916.29	Rs. 218325.80	218326.00 (जमानत की राशि की कटौती द्वारा)
3	03F2/2005-06	मदर इण्डिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, विक्रम, पटना	5435.878	Rs. 108717.58	108718.00 (जमानत की राशि

बोल्डरो की अधिप्राप्ति संबंधी अभिलेखो की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2007 एवं नवम्बर 2008) कि संवेदको ने खनन पदाधिकारी, मीरजापुर को 30 रूपये प्रति घन मीटर की दर से रॉलल्टी का भुगतान किया था। हालॉकि संवेदको द्वारा रॉयल्टी के वास्तविक भुगतान राशि को सुनिश्चित किये बिना प्रमंडल ने बढे हुए दर अर्थात 100 रूपये प्रति घन मीटर पर जैसा कि प्राक्कलन में प्रावधानित थी, भुगतान कर दिया। इसके परिणामस्वरूप संवेदको की रॉयल्टी पत्र पर 22.54 लाख रूपये का अधिक भुगतान हो गया।

प्रमंडल ने जबाब दिया (दिसम्बर 2007) कि अधिक भुगतान नही किये गये थे क्योंकि किये गये भुगतान प्राक्कलित दोषपूर्ण था एवं संवेदको द्वारा रॉयल्टी के वास्तविक भुगतान का सुनिश्चित कराने के बाद ही बोल्डरो के लिए भुगतान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार बोल्डरो पर आरोपित वास्तविक रॉलल्टी का सुनिश्चित किये बगैर संवेदको को अधिक रॉलल्टी भुगतान करने से सरकार को 22.54 लाख रूपये की हानि हुई।

					का कटौती द्वारा)
		कुल राशि	31721.635	Rs. 634432.70	Rs. 634434.0

रॉयल्टी मद में रू0 634432.70 की अधिकाई भुगतान के विरूद्ध संवेदको से 634434.00 रू0 की वसूली की जा चुकी है। अतएव इस कंडिका को विलोपित किया जा सकता है।

कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल,
पटना, पिन – 801105

पत्रांक :– 765 खगौल, दिनांक :– 19/08/2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल,
पटना।

विषय:– बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति (मुख्य) की विभागीय बैठक के संबंध में।

प्रसंग:– अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–3189 दिनांक–22.06.2023

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के अनुपालनार्थ विन्दुवार उत्तर प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	कारण पृच्छा	उत्तर प्रतिवेदन	अभियुक्ति
1	संवेदक से वसूली कर रिसिप्ट हेड में जमा क्यों नहीं किया जा रहा है ?	संवेदक मेसर्स मदर इण्डिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, विक्रम, पटना का एकरारनामा संख्या–11 F2/2005-2006 में सुरक्षित जमा राशि से रॉयल्टी मद के खनन शीर्ष 00–0853–00–102–0001–00–09 में रूपये–1,08,718.00 (रूपये एक लाख आठ हजार सात सौ अठारह) रूपये मात्र जमा कर विपत्र सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को समर्पित किया गया, जिसे कोषागार द्वारा दिनांक– 19.08.2024 को पारित कर दिया गया है। जिसका T.V No–PPNB240884430000439 है (छाया प्रति संलग्न)।	
2	बिना रॉयल्टी जमा होने के प्रमाण के भुगतान करने वाले कर्मियों पर क्या कार्रवाई की गई है ?	संवेदक मेसर्स मदर इण्डिया कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, विक्रम, पटना का एकरारनामा संख्या–03 F2/2005-2006 के रॉयल्टी मद में अधिकाई भुगतान का मामला बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर से संबंधित है। अतः इस कार्यालय का उत्तर प्रतिवेदन शून्य समझा जाय।	

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
19/8/24
(ई० विद्या शंकर वर्मा)
कार्यपालक अभियंता
सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल।

पत्रांक :– 765 / खगौल, दिनांक :– 19/08/2024

प्रतिलिपिः मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।
अनु०–यथावत्।

O/C

19/8/24
(ई० विद्या शंकर वर्मा)
कार्यपालक अभियंता
सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल।

19.08.24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बक्सर।

पत्रांक 242 / बक्सर, दिनांक 4.2.17 /

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना।

विषयः– भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष–2008–09 (सिविल) की कंडिका 2.1.2 के तहत् अधिकाई भुगतान की राशि की वसूली की सूचना के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक– 132 दिनांक– 18.01.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि संवेदक मेसर्स बी0 एन0 इन्टरप्राईजेज, नेचुआ, जलालपुर, गोपालगंज के द्वारा अधिकाई भुगतान की राशि रूपये–3,07,389=34 की चेक संख्या– 204310दिनांक– 05.01.2017 द्वारा इस कार्यालय में जमा कर दिया गया है। चेक की फोटो कॉपी संलग्न है।

यह सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0:– यथावत्।

विश्वास भाजन
31.01.17
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,बक्सर।

पत्रांक 242 / बक्सर, 31.1.17 दिनांक 4.2.17 /

प्रतिलिपि– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

31.01.17
कार्यपालक अभियंता
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल,बक्सर।
31.1.17

O/C

Scanned with OKEN Scanner

(06085) GOPALGANJ
[illegible]
IFS CODE: [illegible]

27/03/2015

Executive Engineer Flood Control Divn. [illegible]

[illegible] only

301390=00

VALID UPTO ₹ 50 LACS AT NON-HOME BRANCH

11226892345

CURRENT A/C

PREFIX :
1516200002

B N ENTERPRISES

⑈204310⑈ 841002102⑆ 000130⑈ 29

Scanned with OKEN Scanne

- 9 -

(00085) GOPALGANJ
MAUNIA CHOWK, NEAR KACHEHARI GOPALGANJ
DIST GOPALGANJ 841428
IFS CODE: SBIN0000085

C S C 1 2 6 1 7

Executive Engineer Flood Control Divi. Buxer

Three lack seven thousand three hundred ninety only.

₹ 307390.00

11226892345

VALID UPTO ₹ 50 LACS AT NON-HOME BRANCH

For B. N. Enterprises

Bholanath Prasad

CURRENT A/C

PREFIX :
1516200002

B N ENTERPRISES.

⑈204310⑈ 841002102⑆ 000130⑈ 29

27/03/2015

Scanned with OKEN Scanne

लोक निर्माण लेखा प्रपत्र 56, अन्तरण प्रविष्टि आदेश

संख्या 21 / 9-2016

तारीख 27-9-2016

अन्तरित आवंटन के लिए ... का ब्यौरा, कारण सहित	विकलन		आकलन	
	विशेष कार्य का नाम या लेखा शीर्षक	रकम	विशेष कार्य का नाम या लेखा शीर्षक	रकम
[illegible] 2-F-1/05-06 [illegible] अधिकाई भुगतान की वसूली [illegible] हेतु [illegible] 13.2.16 [illegible]	8443 भाग II	2183260.00 योग 2183260.00	राजस्व शीर्ष 0701:- अधिकाई भुगतान का समायोजन।	2,18,32,600

प्रम० लेखापाल ग्रेड-II
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर

कार्यपालक अभियन्ता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बक्सर
27.9.16

कार्यपालक अभियन्ता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल
बक्सर
27.9.16

[illegible]

Certified Copy

कार्यपालक अभियन्ता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल
बक्सर
27.9.16

Scanned by CamScanner

[illegible] :- 32-F-2/2005-06

મે. [illegible], [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
3B046362 / 000464	01/19.10.05	Rs. 1,81,730=00
3B047253 / 000473	06/23.2.07	Rs. 36,535=00
		T. Rs. 2,18,265=00

(Rs. 1,22,330=00 [illegible])

27.9.16

कार्यपालक अभियन्ता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल
बक्सर

27.9.16

Certified Copy

27.9.16

कार्यपालक अभियन्ता
बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल
बक्सर

27.9.16

Scanned by CamScanner

st Logout | DSC & Biometric App | Ticketing Tool User Manual | CFMS 2.0 Training Manual | Last Login 19 Aug. 24 11:49 | Welco

mprehensive Financial Management System

Office: Sone Flood Protection Division Khagaul-L (Bill Preparation including Paybill Maker) | Office Id: 2460 | Financial Year: 2024-2025

Bill Search

◉ Search for Mapped HOA ○ Search for Unmapped HOA

Bill From Date: * 15/06/2024 | Bill To Date: * 19/06/2024 | Bill No:

Bill Ref No.: | Token Number: | Search | Refresh

entries

Search:

Head Of Account	Bill Ref No.	Bill Number	Bill Description	Bill Date	Token Number	Token Date	Voucher Number	Voucher Date	Bill Gross Amount	Bill Net Payment	Bill Status
00-8443-00-108-0003-00-02-N	20240817088534	15W 2024 25	Security/Other Deposit refund for Work & Forest	17-Aug-2024	PNB2024080 38590	17-Aug-2024	PPNB240884430000489	19-Aug-2024	1,08,719	1	Treasury E E-signed

19/8/24

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-2लो0ले0स0-03/25- 4188 /वि०स०।

प्रेषक,

उमा शंकर यादव,
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।
प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 14/7/2025

विषय:- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-711 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल) की कंडिका-2.1.2 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-711 को समिति द्वारा दिनांक-04.07.2025 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

अतः पारित प्रारूप प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित आँकड़ों को सम्परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर समिति द्वारा पारित प्रतिवेदन की मूल प्रति को सभा सचिवालय को वापस करने की कृपा की जाय । इस अवधि के अन्दर प्रारूप प्रतिवेदन वापस नहीं होने पर यह समझा जायेगा की इसमें निहित आँकड़े सही है ।

अनु०-लो०ले०स० का प्रारूप प्रतिवेदन-711 की मूल प्रति ।

विश्वासभाजन,
11.07.2025
(उमा शंकर यादव)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
11/7/25

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001

संख्या/No. लो. ले. स./प्रारूप प्रति./23-24/147(8)/

Indian Audit & Accounts Department
Office of the Accountant General (Audit) Bih
Birchand Patel Marg, Patna - 800 001

दिनांक/Date : 18.07.2025

सेवा में,

उप सचिव,

बिहार विधान सभा,

पटना ।

विषय:- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या – 711 में सन्निहित आंकड़ों का संपरीक्षण के संबंध में ।

संदर्भ:- बिहार विधान सभा का पत्र संख्या-2 लो०ले०स०-03/25-4188 /वि०सं०, पटना, दिनांक:- 14.07.25

महाशय,

निदेशानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल) की कंडिका 2.1.2 पर आपके द्वारा प्रेषित लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या – 711 को मूल रूप में वापस करते हुए सूचित करना है कि उक्त प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित तथ्यों एवं आंकड़ों का संपरीक्षण किया गया तथा उसमें उल्लिखित अंतर्वस्तु के विषय सूची, पृष्ठ संख्या 'ख' एवं 'ग' में कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना द्वारा आंशिक संशोधन किया गया ।

भवदीय

[signature]

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

लोक लेखा समिति

-15-

संचिका संख्या–19/सी०ए०जी०–08/2010– 3424 अ०

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

राजीब बर्नड कुजूर,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक– 23.7.25

विषयः– लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या–711 में सन्निहित ऑकड़ों का सम्परीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः– आपका कार्यालय पत्रांक–4188 दिनांक–14.07.2025 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 (सिविल) की कंडिका 2.1.2 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या–711 में सन्निहित ऑकड़ों के सम्परीक्षण उपरान्त अनुमोदित प्रतिवेदन के साथ प्राप्त मूल प्रतिवेदन अग्रेतर कार्यार्थ संलग्न कर भेजी जा रही है ।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय ।

अनु०–यथोक्त ।

बिहार विधान सभा सचिवालय
प्राप्ति तिथि: 23/7/25
केन्द्रीय डाक सं०: 8889

(10)

विश्वासभाजन
23/07/25
(राजीब बर्नड कुजूर)
सरकार के उप सचिव।